

भारत सरकार  
संचार मंत्रालय  
दूरसंचार विभाग  
अभिगम सेवा स्कंध  
20, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

सं.16-1/2017/एएस-III/लघु कोड/480/94

दिनांक: 29/03/2022

सेवा में,

सभी अभिगम सेवा प्रदाता।

विषय:- उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार को लघु कोड '14449' का आवंटन करने के संबंध में।

उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश सरकार को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे और पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर ट्रैफिक प्रबंधन और दुर्घटना नियंत्रण हेतु नियंत्रण कक्ष के रूप में निम्नलिखित विशेषताओं वाले लघु कोड '14449' का आवंटन किया जाता है:

- (i) श्रेणी-I: सेवा (यानी सभी अभिगम प्रदाताओं द्वारा अनिवार्य रूप से यह सेवा प्रदान की जानी है)।
- (ii) अभिगम्यता: सीमित यानी राज्य के भीतर।
- (iii) मीटर्ड सेवा: (दूरसंचार विभाग के इस अनुदेश के क्रम में जिस अभिकरण को लघु कोड आवंटित किया गया है, द्वारा जारी पृथक सूचना के आधार पर कॉल्ड पार्टी पेज अथवा कॉलिंग पार्टी पेज के रूप में वसूला जाए।)

2. सभी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया जाता है।

संचित कुमार गर्ग

(संचित कुमार गर्ग)

एडीजी (एएस-III)

सूचनार्थ और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु, यदि कोई हो तो, प्रति प्रेषित:

1. सचिव, ट्राई।
2. अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, एमटीएनएल/अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, बीएसएनएल
3. श्री श्रीश चन्द्र वर्मा, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सी-13, पर्यटन भवन, दूसरा तल, विपिन खंड, गोमती नगर, लखनऊ- 226010 को उनके दिनांक 08.03.2022 के पत्र संख्या 9436/नोडल (पूर्व)-2323/2021 के संदर्भ में हेल्पलाइन का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने के अनुरोध सहित। नोडल अधिकारी इस संबंध में वरिष्ठ उप महानिदेशक (एलएसए), एलएसए इकाई, संबन्धित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से संपर्क करें।
4. निदेशक (पी एंड एन), डीजीटी (मुख्यालय), (संबन्धित एलएसए क्षेत्र इकाई से यह कहा जाए कि जब कभी हेल्पलाइन को शुरू करने के लिए संपर्क किया जाए तो वे संबंधित नोडल अधिकारियों और टीएसपी के साथ समन्वय करें।)
7. दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु एक प्रति।